कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

कृषि भवन, मीठापुर, पटना - 800001

बिहार सरकार

ई-मेल–diragri-bih@nic.in वेबसाइट –state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome दूरभाष /फैक्स– 0612-2215895

संचिका सं0–15–उ0को0/विविध–03/2018 - 544 (उ0को0) दिनांक -24. जून, 2025

कार्यालय आदेश

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, INM संभाग (Bio-Stimulant कोषांग) कृषि भवन नई दिल्ली का पत्र सं0–7–48/2024 (Fert. Law/BSC)(e-154229) दिनांक 11.03.2025 एवं भारत सरकार का अधिसूचना सं0–SO No-3922(E) दिनांक 12.09.2024 द्वारा कुल–11 Bio-Stimulant उत्पादों को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के Schedule-VI में सम्मिलित किया गया है। Bio-Stimulant उत्पादों का विक्रय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उर्वरक प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु निदेशित किया गया है।

उर्वरक (रसायनिक, कार्बनिक अथवा मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के Second Amendment Order, 2025 अन्तर्गत भारत सरकार के अधिसूचना सं0–SO No-1236 (E) दिनांक 17.03.2025 द्वारा दिनांक 16.06.2025 तक Bio-Stimulant उत्पादों को बिक्रय करने के संबंध में समय सीमा निर्धारित किया गया हैं।

अतः सभी Bio-Stimulant उत्पादों का विपणनकर्त्ता प्रतिष्ठान को निदेशित किया जाता है कि 16.06.2025 के बाद Bio-Stimulant उत्पादों का बिक्रय नहीं करेंगे। राज्य में किसी भी उर्वरक प्रतिष्ठान के द्वारा Bio-Stimulant उत्पादों का बिक्रय किये जाने की सूचना प्रतिवेदित होती है तो नियमानुसार विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जायेगा।

अनु0:–यथोक्त।

23/6

(नितिन कुमार सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : उ0को0/विविध–03/2018 - 544 (उ0को0) दिनांक 24-6-.2025

प्रतिलिपिः– सभी Bio-Stimulant उत्पादों का विपणनकर्त्ता प्रतिष्ठान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

23/6

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

Rajeev

D:\Z Tolerance 2022\Rajeev sir\Karyalay Aadesh.docx

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032025-261703
CG-DL-E-19032025-261703

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1223] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2025/फाल्गुन 27, 1946
No. 1223] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2025/PHALGUNA 27, 1946

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2025

का.आ. 1236(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) में, खंड 20 ग में, उपखंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात :—

"(4) इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो इस आदेश के प्रकाशन की तारीख पर जैव उत्प्रेरक का विनिर्माण अथवा आयात कर रहा है, जिसमें कोई मानक निर्दिष्ट नहीं किये गए हैं, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए ऐसे जैव उत्प्रेरक को विक्रय, बिक्री, विक्रय के लिए प्रस्ताव, भण्डार या प्रदर्शन के लिए विनिर्माण अथवा आयात को जारी करने के लिए उप-खंड (5) के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन करने के अधीन होगा।"

(517)

3. उक्त आदेश में, प्ररूप छ -3 में, मद 5 के पश्चात, दूसरे पैरा में "22 फरवरी, 2024" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "16 जून, 2025" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएँगे।

[फा. सं. 3-14/2017 उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल खोबुंग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग –2, खंड-3 उप खंड (ii) में सा. का. नि. 758 (अ) तारीख 25 सितम्बर, 1985 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और संख्यांक 897 (अ.) तारीख 17 फरवरी, 2025 द्वारा अंतिम संशोधित की गयी थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 17th March, 2025

S.O. 1236(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed)(Control) Order, 1985, namely:-

1. Short title and Commencement-

(1) This Order may be called the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed)(Control) Second Amendment Order, 2025

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 20C, for sub-clause (4) the following shall be substituted, namely:-

"(4) Notwithstanding anything contained in this order, any person manufacturing or importing a biostimulant as on the date of publication of this order for which no standards have been specified, may, subject to making an application for grant of provisional registration under sub-clause (5), continue to manufacture or import for sale, sell, offer for sale, stock or exhibit, such biostimulants for a period of three months from the date of publication of this order."

3. In said Order, in Form G-3, in second paragraph occurring after item 5, for figures, letters and words "22nd day of February 2025", the figures, letters and words "16th day of June 2025", shall be substituted.

[F.NO.3-14/2017fertlaw]

FRANKLIN L KHOBUNG, Jt Secy.

Note:—The principal Order was published in the Gazette of India *vide* G.S.R. number 758(E), dated the 25th September, 1985 and was last amended *vide* number S.O.897 (E) dated 17.02.2025

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.19 11:36:38 +05'30'